State Vigilance Bureau, Gurgaon Range, Gurgaon

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 8 दिनांक 17. 05.13

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट धाराएं 7/8/49/88 पी0सी0 एक्ट

3.(क) घटना का दिन षुक्रवार दिनांक दिनांक 17.05.13

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 17.05.13 समय 02.05 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविश्टि संख्या) 7 समय 02.15 पी0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) स्पैषल मैसेन्जर द्वारा (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) जानिब–पूर्व–दक्षिण लगभग 3 किलो मीटर

थाने का नाम :– थाना सदर जिला गुडगांव।

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : श्री राजेन्द्र कुमार

(ख) (पिता/पति का नाम) श्री सोहन लाल

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) प्रापर्टी डीलर (पता) म0न0 955/31 गली न0 2 लक्ष्मण विहार गुडगांव।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. सज्जन सिंह एस0एच0ओ0 थाना सदर गुडगांव
2. बब्लू गुप्ता

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री जगत सिंह निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव बादस्त सि0 रंगराज न0 88/गुडगांव बराये करने दर्ज मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विशय इस प्रकार है– सेवा में श्रीमान एस0पी0 साहब विजिलैंस विभाग गुडगांव श्रीमान जी आपसे हाथ जोडकर प्रार्थना है कि मै राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी 933/31 लक्ष्मण विहार फेस–1 गुडगांव का रहने वाला हूॅ मै अपने परिवार सहित करीब तीस साल से गुडगांव में रह रहा हूॅ मै 5 सालों से प्रापर्टी का काम करता हूॅ मेरे दोस्त सुरेष कुमार पुत्र महाबीर प्रसाद निवासी षक्ति पार्क गुडगांव वर्श 2011 में गुडगांव ग्रामीण बैंक से लोन लिया था उस लोन में मैने गारण्टी दी थी मेरे

दोस्त सुरेष कुमार यह लोन नही भरा तो गुडगांव ग्रामीण बैंक वालों ने थाना सदर गुडगांव मुकदमा दर्ज करा दिया इस मुकदमें क सम्बन्ध में एस0एच0ओ0 सज्जन सिंह मेरे घर पर आया और कहने लगा कि आप अपने दोस्त को पेष कर दो नही तो आपको परिवार सहित अन्दर कर दूगां और गन्दी–2 गालियां देने लगा। मैने कहा मै आपके पास कल थाना में आ जाउंगा और अपने दोस्त को भी पेष करने की कौषिष करूगां एस0एच0ओ0 मेरे घर से जाने के बाद मैने यह सारी कहानी अपने दोस्त भारत भूशण को बतलाई, भारत भूशण कहने लगा कोई बात नही घबराओं मत मेरी नजर में उस एस0एच0ओ0 का जानकार मै उसको साथ लेकर चलेगें वह सब रफा–दफा करा देगा अगले दिन मै भारत भूशण और एस0एच0ओ0 का जानकार बब्लू गुप्ता को लेकर थाना सदर में गये और एस0एच0ओ0 सज्जन सिंह से मिले पहले तो एस0एच0ओ0 साहब ने डराया ध्मकाया उसके बाद बब्लू गुप्ता ने मेरे को व भारत भूशण को कहा कि आप 5 मिनट बाहर बैठो मै साहब से बात करता हूँ। थोडी देर बाद में बब्लू गुप्ता ने ईषारे कर एस0एच0ओ0 के पास बुला लिया और मेरे से कहा कि तेरे खिलाफ फोर्ड का मुकदमा है तो एस0एच0ओ0 सज्जन सिंह ने मेरे से कहा कि मै तेरे को इस मुकदमें से निकाल दूगां और सरकारी गवाह बना दूगां लेकिन मेरे को पहले 2 लाख रूप्ये देने होगें। मैने कहा सर मै कहा से लाउं इतने पैसे मेरा कोई दोश थोडी ना है मैने तो केवल गारन्टी दी थी लोन थोडी ना लिया है। फिर एस0एच0ओ0 बोला कि अकल ठिकाने आ जायेगी जब मै तेरे को अन्दर बन्द कर दूगां मै घबरा गया और एस0एच0ओ0 के सामने हाथ जोडकर खडा हो गया तो एस0एच0ओ0 सज्जन सिंह ने कहा चल ठीक है जब तू बब्लू गुप्ता को ले ही आया है तो मै इतना कर देता हूँ कि एक लाख पहले दे दे एक लाख काम होने के बाद में दे देना। ऐसा करना एक लाख बब्लू गुप्ता को दे देना यह मेरे को दे देगा। फिर आपका काम हो जायेगा मै निर्दोश आदमी हूँ मेरे को गलत फसाया जा रहा है। मै रिष्वत देना नही चाहाता लेकिन जब तक मै एस0एच0ओ0 सज्जन सिंह एक लाख रूप्ये लिये बिना मेरे को इस मुकदमा से नही निकालेगा। वह बार–2 पैसों के लालच में हमारे घर पर जाता है। और मुझे डरा धमकाता है। जिस वजह से मेरा सारा परिवार परेषान है। मेरी बब्लू गुप्ता व एस0एच0ओ0 सज्जन से पैसों का कोई लेन–देन नही है। एस0एच0ओ0 सज्जन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।हस्ताः– अग्रेजी राजेन्द्र कुमार पुत्र ज्ञर सोहन लाल निवासी 955/31 गली न0 लक्ष्मण विहार गुडगांव दिनांक 17.05.2013 मोबाईल न0 9871085656 कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक हाजिर थाना एस0वी0बी0 गुडगांव हूँ कि इसी समय राजेन्द्र कुमार उपरोक्त मुदई ने एस0पी0 साहब रा0चौ0ब्यू0 गुडगांव से मेरे नाम मार्क की हुई दरखास्त पेष की जो दरखास्त के मजबून से सरेदस्त जुर्म 7/8 पी0सी0 एक्ट का सरजद होना पाया गया। जिस पर मन निरीक्षक ने एक रैडिंग पार्टी तैयार की जिस में उपनि0 राम सिंह, ए0एस0आई0 विक्रम सिंह, एच0सी0 सतीष कुमार, ए0एस0आई0 देवेन्द्र सिंह, ए0एस0आई0 दयानन्द को षामिल किया तहरीर बराये कायमी मुकदमा सि0 रंगराज अरसाल थाना है। पर्चा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से सूचित करें स्पैषल रिपोर्ट उफसरानबाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब की सेवा में भिजवाई जावे। मन निरीक्षक, रैडिंग पार्टी के मुदई सहित तफतीसी बैग लेकर बा सवारी गाडी सरकारी टाटा सूमो न0 एच0आर0 55–जे0 0999 चालक सिं0 सुरेन्द्र कुमार रवाना उपायुक्त कार्यालय गुडगांव बाराये लेने अनुमति वा करवाने डयूटि मैजिस्ट्रेट नियुक्त होता हू। हस्ता अग्रेजी जगत सिंह निरीक्षक रा0चौ0ब्यू0 गुडगांव दिनांक 17.05.13 समय 2 पी0एम0 अजथाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरानबाला भेजी जायेगी, एक पर्त एफ0आई0आर0 बतौर स्पेषल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब गुडगांव भेजी जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका का पहुचाने हेतु मैसन्जर सिं0 रंगराज के हवाले की गई।

हस्ता : अग्रेजी आत्मा राम
थाना प्रभारी का नाम
नाम : आत्मा राम
पद : निरीक्षक
सख्यां : एच0 / 51
दिनांक 17.05.13 समय 04.30 पी0एम0